(18)

न्यायालय में श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर
खण्डपीठ क0 रीवा जिला रीवा म0प्र0

R3-201-
R. 5214. नि/15

1 कल्याण सिंह पिता रामलाल सिंह गोड
2 भदऊ सिंह गोड पिता अमर सिंह गोड
3 मेला सिंह गोड पिता अमर सिंह गोड
4 जोला सिंह गोड पिता अमर सिंह गोड
5 बल्लू सिंह गोड पिता अमर सिंह गोड
सभी निवासी ग्राम ददरा टोला तह0गोहपारू
जिला शहडोल म0प्र0 हाल निवासी ग्राम मेडियारास
तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर म0प्र0 ——— निगराकारगण

बनाम

1 छोटू पिता जागेश्वर गोड
2 अमरीश पिता गरीबा गोड
3 जगनंदन पिता गरीबा गोड
4 लालमन पिता गरीबा गोड
सभी निवासी ग्राम ददरा टोला तह0गोहपारू
जिला शहडोल म0प्र0 ——— गैर निगराकारगण

श्री अमरीत सिंह एड के द्वारा आज दिनांक 21-12-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959
निगरानी विरूद्ध न्यायालय कमिश्नर संभाग शहडोल जिला शहडोल म0प्र0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.15 जरिये रा0प्र0क0 111/अपील/14–15

मान्यवर,

निगराकारगण की ओर से निम्न विनय है कि –

निगरानी के तथ्य निम्नानुसार है–

1 यह कि आराजी खसरा नं0 5, 8, 28, 29, 32, 67, 118, 336, 338, 375, 376, 377, 378, 379, 399, 412, 430 कुल 17 किता कुल रकवा 6.416हे0 ग्राम ददरा टोला पटवारी हल्का ददरा टोला राजस्व निरीक्षक मंडल खन्नौधी तह0 गोहपारू जिला शहडोल म0प्र0

XXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

कल्याण सिंह आदि / छोटू आदि

प्रकरण कमांक निग0 5264–तीन / 15 जिला –अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3|3|2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 111 / अपील / 2014–15 आदेश दिनांक 22–9–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई । ग्रह्यता पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । आवेदन कल्याण सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किये गये आदेश दिनांक 30–8–13 के विरूद्ध आयुक्त, शहडोल को द्वितीय अपील दिनांक 4–1–2014 प्रस्तुत की । आयुक्त, ने समयावधि के बाहर मानते हुए धारा–5 का आवेदन निरस्त किया । इसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई । आयुक्त, द्वारा अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की विवेचना करते हुए यह उल्लेख किया किया है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील की थी । तथा वहां भी अदम परैवी में प्रकरण खारिज होने तथा आवेदक को निरंतर सूचना देने के पश्चात् भी अनुपस्थित होने के कारण निर्णय किया था इसलिये आवेदक के इस तर्क को उचित नहीं माना कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किये गये आदेश की सूचना पटवारी द्वारा उसका पालन होने के पश्चात् हुई है । इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की आयुक्त, न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय	

R5264-II/15 आदेश

अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण परिसीमा संबंधी आवेदन अमान्य किया है तथा अवधि वाह्य प्रस्तुत करने पर निरस्त की। आयुक्त, के द्वारा किये गये उक्त निर्णय के त्रुटिपूर्ण होने के संबंध में कोई विधिक आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है । अतः निगरानी स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है । निगरानी अग्राहय की जाती है ।

सदस्य